संयु० निदे०

24/8/17

उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 1320/बयालिस-2017-126(एस0पी0)/1975 टी0सी0

लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2017

विज्ञप्ति / संशोधन

विविध

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय खेल अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या - 1694/75-126(एस0पी0)/75 दिनांक 22 जुलाई 1975 के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या- एस0पी0- 1695/42-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 09 अप्रैल, 1979, शासनादेश संख्या- एस0पी0- 3161/बयालिस-126 स्पो0/75 दिनांक 18 अगस्त, 1983, संख्या -एस0पी0- 1820/42-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 26 अगस्त, 1987, संख्या- 2138/बयालिस-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 18 जुलाई 1992, संख्या- 418(1)/बयालिस- 96-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 14 मार्च, 1996, संख्या- 611/बयालिस-2000-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 23 मार्च, 2000, संख्या- 1179/बयालिस- 2002-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 06 मई ,2002 तथा संख्या- 3503/बयालिस- 2002-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2002, एवं संशोधन विज्ञप्ति संख्या- 1204/बयालिस'2003-126 (एस0पी0)/75, दिनांक 29 मार्च, 2003, शासनादेश संख्या- 3234/बयालिस- 2014-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 04 मार्च 2014 तथा संख्या- 2032 /बयालिस-2014 -126(एस0पी0)/75 टी0सी0 दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में लक्ष्मण पुरस्कार/ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत नियम व शर्ते निर्धारित करते हुए संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान करते है:-

1- राज्य स्तर पर खेल में सीनियर प्रतियोगिताओं में विशेष निपुणता दिखाने वाले पुरूष खिलाडियों को " लक्ष्मण पुरस्कार " तथा महिला खिलाडियों को " रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार " प्रदान किया जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघों (स्टेट स्पोर्टस एसोसिएशन) से निम्नलिखित खेलों के खिलाडियों को पुरस्कृत किये जाने के लिए प्रतिवर्ष सिफारिशें माँगी जायेगी :-

पूर्व शासनादेशों में निर्धारित खेल	वर्तमान में निर्धारित खेल पुरूष / महिला वर्गो में
1- तैराकी	1- तैराकी
2- तीरंदाजी	2- तीरंदाजी
3- एथलेटिक्स (याम दौड आदिव्या)	3- एथलेटिक्स
4- बैडमिंटन	4- बैडमिंटन
5- बास्केटबाल	5- बास्केटबाल
6- बाक्सिंग (पुरूष)	6- बाक्सिंग

7- कैनोइंग एण्ड केयाकिंग	7- कैनोंइग एण्ड केयाकिंग
8- साइकिलिंग	8- साइकिलिंग
9- घुड़सवारी (महिला/पुरूष)	9- घुड़सवारी
10- तलवारबाजी	10- तलवारबाजी
11- फुटबाल	11- फुटबाल
12- जिम्नास्टिक	12- जिम्नास्टिक
13- हैण्डबाल	13- हैण्डबाल
14- हॉकी	14- हॉकी
15- जुडो	15- जुडो
16- कबड्डी	16- कबड्डी
17- खो- खो	17- खो- खो
18- रोइंग	18- रोइंग
19- शूटिंग	19- शूटिंग
20- टेबुल टेनिस	20- टेबुल टेनिस
21- टेनिस	21- लान टेनिस
22- वालीवाल	22- वालीवाल
23- भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग तथा सर्वोत्तम शरीर गठन - बेस्ट फिजिक	23- भारोत्तोलन / बेस्ट फिजिक
24- कुश्ती	24- कुश्ती
25- ताइक्वान्डों	25- ताइक्वान्डों
26- याचिंग	26- याचिंग
27- विन्टर गेम्स	27- विन्टर गेम्स
28- गोल्फ	28- गोल्फ
29- क्रिकेट	29- क्रिकेट
30- टेनिसबाल क्रिकेट	30- टेनिसबाल क्रिकेट
31- साफ्ट टेनिस	31- साफ्ट टेनिस

3- साधारणतः उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में किसी वर्ष विशेष में एक पुरूष एंव एक महिला खिलाड़ी को क्रमशः लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जा सकता है।

जिन खिलाडियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार अनुमन्य किया जाना है, उन खिलाडियों की उपलब्धि क्रमांक- 16 में उल्लिखित अंक तालिका के अनुसार अंकों की गणना की जायेगी। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाडियों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के वेटरन वर्ग के आवेदनकर्ताओं हेतु निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष है। वेटरन वर्ग में जिस वर्ष के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 01 अप्रैल को खिलाडी की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होने पर पात्रता मान्य होगी। वेटरन वर्ग में उपरोक्त निर्धारित खेलों में से किन्हीं दो खेलों के ऐसे वृद्ध (वेटरन) महिला व पुरूष खिलाडियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, जिसके द्वारा सम्बन्धित खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (अंकों हेतु निर्धारित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं) में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेशव देश का गौरव बढ़ाया गया हो। लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा वेटरन वर्ग के खिलाडियों की उत्कृष्ट खिलाडायों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार अनुमन्य किया जायेगा।

4- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्बन्धित सिफारिश राज्य क्रीड़ा संघों से माँगी जायेगी जो उनके द्वारा परिशिष्ठ के प्रोफार्मा (निदेश) में निर्दिष्ट दिनांक तक भेजी जायेगी। राज्य क्रीडा संघों द्वारा खिलाडियों की संस्तुति करते हुए उनका खेल प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी खिलाडियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेगें ।

आवेदित खिलाड़ी द्वारा भी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सीधे खेल निदेशालय को निर्धारित प्रारूप पर अपने खेल प्रमाण-पत्र राज्य क्रीडा संघों के सचिव से सत्यापित कराकर उपलब्ध कराये जायेगें ।

5- खेल निदेशालय राज्य क्रीड़ा संघों से प्राप्त सभी सिफारिशों की जॉच करेगी तथा पुरस्कृत किये जाने के लिए अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार अपने विवेकानुसार विशेषज्ञों की समिति गठित कर लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

6- यदि राज्य क्रीड़ा संघ चाहे तो खेल निदेशालय को किसी विशेष खेल में एक से अधिक नामों की सिफारिश कर सकता है किन्तु नामों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए। खेल निदेशालय पुरूष एवं महिला वर्गों में प्राप्त आवेदनों में से पात्र खिलाडियों की संस्तुति शासन को भेजेगा।

7- राज्य क्रीड़ा संघों द्वारा की गयी सिफारिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार सीधे भी किसी खिलाड़ी को, जो वर्ष में श्रेष्ठ माना गया हो, उसे पुरस्कृत कर सकती है।

8- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से अलंकृत करने के लिए शासन द्वारा ऐसे खिलाडियों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हो :-

(क)- खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (bonafide resident) होना चाहिए।

(ख)- खिलाडी कम से कम 03 बार प्रदेशीय सीनियर टीम का सदस्य रहा हो और राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और साथ ही उस वर्ष में जिसके लिए पुरस्कृत किये जाने की सिफारिश की जाती है, उस वर्ष में उसके द्वारा पदक अर्जित किया गया हो।

-4

(ग)- यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया हो तथा वह क्रमांक- 16 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है, तो उसे भी पात्र माना जायेगा।

9- पुरस्कार देने के लिए चयन में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

10- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में एक कॉस्य (Bronze status) और एक वर्तिलेख (scoroll) सम्मिलित है, विजेताओं को एक विशेष समारोह में भेट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरसकार प्राप्त कर्ता को रू0 3,11,000/- (रू0 तीन लाख ग्यारह हजार मात्र) एक मुश्त नकद धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

11- किसी सिफारिश के सम्बन्ध में किसी भी रूप के कन्वेसिंग (उपार्थना) करने से उस प्रविष्ट को अनर्ह (disqualified) ठहराया जा सकेगा।

12- एक व्यक्ति को एक ही बार पुरस्कृत किया जायेगा।

13- पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है।

14- सरकार किसी भी व्यक्ति का नाम पुरस्कृत स्पोर्टस मैन की सूची से निरसित कर सकती है और उस दिशा में ऐसे व्यक्ति से उसकी दी गयी प्रतिमा तथा वर्तिलेख को वापस करने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रकार निरस्तता अन्तिम होगा और उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

15- उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे पुरस्कृत करने की सिफारिश की हो और उससे इस सम्मान को पाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह समझा जाएगा कि उसने इस नियमों को स्वीकार कर लिया है।

16- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिताओं हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क्रसं0	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कॉस्य पदक
01	02	03	04	05
01-	ओलम्पिक गेम्स	60	55	50
02-	विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप (04 वर्ष के अन्तराल में आयोजित होने पर)	55	50	45
03-	एशियन गेम्स	50	45	40
04-	कामनवेल्थ गेम्स	50	45	40
05-	एशियन चैम्पियनशिप एवं कामनवेल्थ चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	40	35	30
06-	सैफ गेम्स	15	12	10